

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :- प.18(1)साप्र/2/22 पार्ट(5)

जयपुर, दिनांक : 03.06.2024

-: आदेश :-

निम्नांकित कर्मचारियों को उनकी 'एच' श्रेणी में वरियता के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानानुसार निम्नांकित शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन किये जाते हैं:-

क्र. सं.	वरियता क्रमांक	नाम एवं पदनाम आवंटी	सेवानिवृत्ति तिथि	आवंटित राजकीय आवास
1.	33/2014	श्रीमती विमल शर्मा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, न्याय विभाग जिला एवं सेशन न्यायालय महानगर जयपुर	31.01.2027	6/6, गांधीनगर
2.	41/2018	श्री मोहन लाल सैन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, संसदीय सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर	30.06.2039	एच-913, गांधीनगर
3.	34/2014	श्री मनोज कुमार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्या अतिरिक्त अधीक्षक, सवाई मान सिंह चिकित्सालय जयपुर	31.03.2029	एच-911, गांधीनगर
4.	35/2014	श्री गोविन्द कंवर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्या प्रधानाचार्य राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, गंगापोल जयपुर	31.08.2038	एच-907, गांधीनगर
5.	36/2014	श्री कैलाश तौणरियां वार्ड बाय, कार्या निदेशक, पुनर्वास एवं अनुसंधान केंद्र जयपुर	30.09.2029	एच-905, गांधीनगर
6.	10/2019	श्री संजय मीणा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्यालय अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	30.04.2050	एच-903, गांधीनगर
7.	37/2014	श्री विष्णु कुमार शर्मा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्या प्रधानाचार्य राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, गोपालपुरा देवरी जयपुर	31.12.2028	एच-902, गांधीनगर
8.	39/2014	श्री सुरेन्द्र सिंह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्यालय मुख्य नगर नियोजक नगर नियोजन विभाग जयपुर	28.02.2045	एच-897, गांधीनगर
9.	40/2014	श्रीमती कमलेश देवी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्या अधीक्षक केन्द्रीय संग्रहालय जयपुर	31.08.2042	एच-894, गांधीनगर
10.	14/2019	श्रीमती नीत शर्मा सहायक कर्मचारी, कार्मिक (ग) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	31.12.2042	एच-892, गांधीनगर
11.	41/2014	श्रीमती अनिता बैरवा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्या जिला रोजगार अधिकारी, रोजगार सेवा	30.04.2040	एच-888, गांधीनगर



RajKaj Ref
7710007

		निदेशालय जयपुर		
12.	42 / 2014	श्री हनुमान प्रसाद वैष्णव चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्या अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग जयपुर	31.07.2026	एच-882, गांधीनगर
13.	43 / 2014	श्री दिनेश कुमार शर्मा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्या अतिरिक्त प्रधानाचार्य, सवाई मानिसंह चिकित्सालय महाविद्यालय जयपुर	31.01.2034	एच-865, गांधीनगर
14.	24 / 2019	श्री दुर्गा प्रसाद शर्मा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, निर्वाचन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	31.10.2035	एच-659, गांधीनगर
15.	43 / 2014	श्री राकेश मीणा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्या अतिरिक्त प्रधानाचार्य, सवाई मानिसंह चिकित्सालय महाविद्यालय जयपुर	30.11.2051	एच-656, गांधीनगर
16.	44 / 2014	श्री सुभाष शर्मा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्या अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग जयपुर	31.07.2044	एच-654, गांधीनगर
17.	45 / 2014	श्री शहजाद खान लश्कर, कैप्टन एडीएम ऑफिसर 1 राज. गर्ल्स बीएन एनसीसी जयपुर	31.10.2028	एच-651, गांधीनगर
18.	26 / 2019	श्री प्रहलाद सैन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्मिक(ख-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	31.05.2038	एच-597, गांधीनगर (रिक्त होने की प्रत्याशा में)
19.	46 / 2014	श्री दिनेश राम चंद्रवशी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, न्याय विभाग अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जयपुर	31.05.2035	एच-596, गांधीनगर
20.	46 ए / 2014	श्रीमती शोभा देवी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्यालय आयुक्त वाणिज्यिक कर विभाग जयपुर	31.01.2027	एच-592, गांधीनगर
21.	47 / 2014	श्री नरेश कुमार सैनी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्या जिला रसद अधिकारी, कलेक्ट्रेट जयपुर	31.07.2037	एच-589, गांधीनगर
22.	31 / 2019	श्री सत्य नारायण बिजारनिया चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	30.09.2037	एच-586, गांधीनगर
23.	48 / 2014	श्री बृजराज गोचर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, प्रभारी अधिकारी, जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर	31.08.2048	एच-582, गांधीनगर
24.	50 / 2014	श्रीमती पार्वती सैन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, प्रभारी अधिकारी अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-2 जयपुर महानगर	31.07.2039	एच-579, गांधीनगर
25.	51 / 2014	श्रीमती रंजना शर्मा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, प्रभारी अधिकारी संस्थापन शाखा विशिष्ट महानगर	31.10.2048	एच-578, गांधीनगर

		मजिस्ट्रेट कम-15 महानगर जयपुर		
26.	3/2020	श्री राम सिंह यादव चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, परिवहन एवं सैनिक कल्याण विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	30.06.2036	एच-577, गांधीनगर
27.	52/2014	श्री हरिओम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्या अतिरिक्त प्रधानाचार्य सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर	31.01.2053	एच-573, गांधीनगर
28.	53/2014	श्री कृष्ण कुमार मीणा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, राजकीय यौगिक चिकित्सा एवं अुसंधान केंद्र जयपुर	30.06.2040	एच-568, गांधीनगर
29.	54/2014	श्री ओमप्रकाश पारीक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, न्यायाधीश श्रम न्यायालय संख्या-2 जयपुर	30.06.2041	एच-563, गांधीनगर
30.	6/2020	श्री अशोक शर्मा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्मिक (क-1/एसीआर) विभाग, जयपुर।	31.12.2026	एच-562, गांधीनगर
31.	55/2014	श्री राजेन्द्र प्रसाद महावर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बनीपार्क जयपुर	30.09.2028	एच-553, गांधीनगर
32.	56/2014	श्री रतनलाल सैनी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, श्रम न्यायालय संख्या-2 जयपुर	31.07.2039	एच-549, गांधीनगर
33.	58/2014	श्री अमर सिंह गुर्जर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, डॉ.राधाकृष्णन राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय गांधीनगर जयपुर	30.06.2041	एच-538, गांधीनगर
34.	12/2020	श्रीमती कैला सैनी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गुप-2)विभाग,शासन सचिवालय, जयपुर।	31.08.2045	एच-554, गांधीनगर
35.	59/2014	श्री जीवराज चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्या प्रमुख सचिव, लोकायुक्त सचिवालय राजस्थान जयपुर	31.07.2046	एच-534, गांधीनगर
36.	60/2014	श्री माधव प्रसाद आचार्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्या प्रमुख सचिव, लोकायुक्त सचिवालय राजस्थान जयपुर	30.04.2046	एच-524, गांधीनगर
37.	61/2014	श्री महेन्द्र कुमार तिवारी परिचारक, कार्या जिला आयुर्वेद अधिकारी, राजकीय आयुर्वेद औषधालय क्षेत्र जयपुर	31.07.2035	एच-508, गांधीनगर
38.	23/2020	श्री मुकेश कुमार पारीक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, वित्त (व्यय-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	31.07.2039	एच-504, गांधीनगर

शर्त :-

1. आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त की तिथि से 8 कार्य दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी-चूँकि उक्त कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्त भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मन मोहन गौड़)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. उप शासन सचिव, कार्मिक (ख-1) विभाग/ कार्मिक (ख-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
3. उप सचिव, कार्या प्रमुख सचिव लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
4. अतिरिक्त अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय/ केंद्र संग्रहालय/राजकीय यौगिक चिकित्सा एवं अनुसंधान केंद्र/राजकीय आयुर्वेद औषधालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
5. उपायुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
6. अति. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
7. प्रभारी अधिकारी(संस्थापन), जिला एवं सेशन न्यायालय/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/ अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम 2/ विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट क्रम 15/न्यायाधीश श्रम न्यायालय संख्या 2, जयपुर महानगर, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
8. मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
9. प्रधानाचार्य/प्राचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गंगापोल/सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय/औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/डॉ राधाकृष्ण राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय, गांधीनगर,

जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।

10. जिला रोजगार अधिकारी, रोजगार सेवा निदेशालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
11. कैप्टन एडीएम ऑफिसर 1 राजस्थान गर्ल्स बीएन एनसीसी जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
12. वित्तीय सलाहकार, कार्मिक (ग) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
13. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
14. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-तृतीय (मुख्यालय) जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात् ही आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
15. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय/जयपुर शहर, जयपुर।
16. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (गुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर— कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
17. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर जयपुर।
18. अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रामबाग सर्किल, जयपुर।
19. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गाँधीनगर, जयपुर—कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लेकबोर्ड पर चस्पा करावें साथ ही आवंटी के द्वारा कब्जा लेने/रिक्त दिनांक की सूचना निदेशक सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय जयपुर को भी भिजवाये।
20. संबंधित कर्मचारी को प्रेषित कर लेख है कि कब्जा लेने से पूर्व इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-तृतीय (मुख्यालय) जयपुर को सम्भलवाने के पश्चात् ही कब्जा प्राप्त करेंगे।
21. निजी सचिव, शासन सचिव, साप्रवि।
22. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव